

9	10	11	12	13	14
ification : Yes.		ment	Kalawati Saran Children's Hospital with 10 years' regular service in the grade.	Committee 1. Additional Director General/Deputy Director General (Medical) —Chairman 2. Director, Administration and Vigilance —Member 3. Principal, Lady Harding Medical College —Member 4. Deputy Director Administration (O M) —Member Note : The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to the confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Public Service Commission not necessary.

[No. A-12018/2/81- ME (UG) Desk]
S.P. BHASIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1985

सा. का. नि. 913.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (श्रेणी-I तथा श्रेणी-II) गैर-बिकिस्सीय राजपत्रित पद भर्ती नियमावली 1976 को वहाँ जहाँ तक इसका संबंध उपनिवेशक (कीट विज्ञान) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई है अथवा किए जाने से लोप किया गया है, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय नई दिल्ली में उप निवेशक (कीट विज्ञान) तथा केन्द्रीय समन्वय अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

6. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है:

अनुसूची

पत्र का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पर अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनु- भेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
उप निदेशक (फीट विज्ञान)-1 केन्द्रीय भ्रमन्वयअधिकारी-1	* 2 (1985)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह (क) राजपत्रित	1500-60-1800 100-2000 रुपये	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आवेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख में भारत में रहने वाले अभ्यासियों से (उनसे भिन्न जो संडमान और निको- बार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं।) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा की अवधि यदि कोई हो अर्हताएं: विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्य-
क्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

7	8	9
अनिवार्य:	वहीं	(i) सीधी भर्ती के व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। (ii) प्रोन्नत अधिकारी के लिए दो वर्ष।
(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फीट विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि अथवा समतुल्य।		
(2) चिकित्सीय फीट विज्ञान क्षेत्र में 12 वर्ष का अध्ययन और/ अथवा अनुसंधान कार्य का अनुभव।		
टिप्पण: 1 अर्हतायें अन्यथा सुअहित अभ्यासियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।		
टिप्पण: 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनु- सूचित जनजातियों के अभ्यासियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।		
वांछनीय: उच्चतर चिकित्सीय फीट विज्ञान/मलेरिया विज्ञान/ फाइलेरिया विज्ञान में प्रशिक्षण।		

